

पत्रांक- मो02 सहरसा 33/2023- 1679

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक 10/12/2023.

विषय:- सिंचाई प्रमंडल, राघोपुर अन्तर्गत MMGSY (Awesh) SC योजनान्तर्गत गणपतगंज लघु नहर के वि०दू० 4.50 से वि०दू० 10.00 के दायें बांध पर सड़क निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा का पत्रांक 3176 दिनांक 31.12.2025

महाशय,

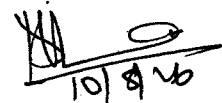
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में सिंचाई प्रमंडल, राघोपुर अन्तर्गत MMGSY (Awesh) SC योजनान्तर्गत गणपतगंज लघु नहर के वि०दू० 4.50 से वि०दू० 10.00 के दायें बांध पर सड़क निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकार को बाहर से मिट्टी लाकर नहर बाँध को रूपांकित सेक्शन में करने के पश्चात् ही विषयांकित कार्य करना जायेगा।
2. नहर का रूपांकित सेक्शन अक्षुण्ण रखा जाय।
3. नहर सेवापथ का पक्कीकरण कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये क्रॉस सेक्शन के अनुरूप कराया जाय।
4. नहर का Formation Level Maintain रखते हुए इसपर आवश्यक Drainage व्यवस्था के साथ सेवा पथ का पक्कीकरण कराया जाय।
5. सेवा-पथ के नहर भाग की तरफ Dowel को अक्षुण्ण रखते हुए सेवा-पथ में पक्कीकरण कार्य कराया जाय।
6. सेवा-पथ के निर्माणोपरान्त भी पूरे नहर भाग के जमीन का स्वामित्व जल संसाधन विभाग का रहेगा।
7. नहर के उक्त भाग में सड़क एवं नहर बाँध (Dowel सहित) का रख-रखाव कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकार को ही करना होगा।
8. नहर के मूल स्वरूप एवं निर्मित संरचनाओं में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा छेड़-छाड़ नहीं किया जायेगा।
9. नहर बाँध पर कार्य कराये जाने के कारण किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी मरम्मत/सुरक्षा पर होने वाले व्यय की जिम्मेवारी कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकार की होगी।
10. कार्य के दौरान सेवा पथ पर आवागमन बंद नहीं किया जायेगा।

✓

11. कार्य के दौरान नहर द्वारा किये जा रहे पटवन को किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
12. निर्माण कार्य के समय नहर से संबंधित कार्यपालक अभियंता को भी निश्चित रूप से स-समय सूचना दी जायेगी ताकि नहर के रूपांकित सेक्शन आदि की जाँच आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनके द्वारा की जा सके तथा उनके द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार ही कार्य कराया जायेगा।
13. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल से अनावश्यक समाग्रियों, मलवा आदि को हटाने एवं साफ-सफाई की पूर्ण जिम्मेवारी कार्य कराने वाले विभाग की होगी।
14. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्य को स्थगित कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक :- मो02 सहरसा-33/2023-1679

/पटना, दिनांक : 10/8/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, राघोपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक :- मो02 सहरसा-33/2023-1679

/पटना, दिनांक : 10/8/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)